पत्र संख्या–09 / विविध–14–15 / 2017 सा0प्र0....8294/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गुफरान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी आयोग के सचिव
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना
मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना
राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना
महाधिवक्ता का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 21.6.18

विषयः– बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेड के पदों के पुनर्गठन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या 3369 दिनांक 25.08.2010 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न पदों का पुनर्गठन किया गया था। उक्त पुनर्गठन के 08 वर्ष पूरे हो चुके है एवं वर्त्तमान समय में विभागों के कार्यभार में कई गुणा वृद्धि होने के साथ ही राज्य सरकार के सात निश्चय, सूचना का अधिकार / जन शिकायत के मामले तथा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत भी कार्यो में वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि वैसे सभी विभाग एवं संलग्न कार्यालयों, जहाँ बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के पद सृजित हैं, उनसे कार्यहित में प्रशासनिक ढ़ाँचांगत सुधार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बिहार सचिवालय सेवा के पदों के पुनर्गठन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव की माँग की जाय। विदित हो कि बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक, प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव एवं संयुक्त सचिव के पद सृजित है।

अतः अनुरोध है कि विभिन्न विभागो (संलग्न कार्यालयों सहित) के अन्तर्गत बढ़े हुए कार्य एवं उसके ससयम निष्पादन को ध्यान में रखते हुए वर्त्तमान में स्वीकृत पद बल की समीक्षा करते हुए उक्त सेवा के विभिन्न पदों के पुनर्गठन के विचारार्थ यथास्थिति अतिरिक्त पदबल की आवश्यकता का प्रस्ताव औचित्य के साथ विहित प्रपत्र में यथाशीघ्र इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि एतद् विषयक मामले में सम्यक विचारोपरांत अपेक्षित निर्णय लिया जा सके।

अनु0:–1) विहित प्रपत्र।
2) विभागीय पत्रांक 3369 दि0 25-08-2010 की प्रति

विश्वासभाजन
21/6/18
(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।

प्रपत्र

बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न पदों की विभागवार प्रस्तावित विवरणी :–

विभाग / आयोग / प्रमण्डल का नाम :–

क्रमांक	पदनाम	वर्त्तमान में स्वीकृत पदबल की संख्या	प्रस्तावित अतिरिक्त / अनतिरिक्त पदबल की संख्या	क्रमांक–3 एवं 4 का योग / कमी	अतिरिक्त पदों का औचित्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक					
2	प्रशाखा पदाधिकारी					
3	अवर सचिव					
4	उप सचिव					
5	निदेशक, (संयुक्त सचिव स्तर के)					

(76)

1247/(9)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञाप संख्या–15 / बि०स०से०–02–07 / 2008सा० 3369 / पटना–15, दिनांक 25-8 2010

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित ।

द्वारा – वित्त विभाग ।

विषय – बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेड के पदो का पुनर्गठन / पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप रूपये 1,34,42,448/– (एक करोड़ चौतीस लाख बयालीस हजार चार सौ अड़तालीस रुपये मात्र) के व्यय पर 248 (दो सौ अड़तालीस) पदों के तदर्थ रूप से उत्क्रमण की स्वीकृति ।

आदेश – स्वीकृत ।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर कहना है कि राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के सहायक के कुल स्वीकृत 3136 पदों में से 248 पदों को क्रमशः 174 प्रशाखा पदाधिकारी की कोटि में, 56 पद अवर सचिव की कोटि में, 13 पद उप सचिव की कोटि में तथा 05 पद निदेशक (संयुक्त सचिव स्तर के) की कोटि में तदर्थ रूप से उत्क्रमित करने का निम्न रूप मे निर्णय लिया है :–

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	वर्तमान पद	स्वीकृत पद (उत्क्रमण के फलस्वरूप)
1	2	3	4	5
1	सहायक	पे–बैण्ड–2 9300–34800/– ग्रेड–पे–4600	3136	2888
2	प्रशाखा पदाधिकारी	पे–बैण्ड–2 9300–34800/– ग्रेड–पे–4800	576	750
3	अवर सचिव	पे–बैण्ड–3 15600–39100/– ग्रेड–पे–6600	112	168
4	उप सचिव	पे–बैण्ड–3 15600–39100/– ग्रेड–पे–7600	26	39
5	निदेशक (संयुक्त सचिव स्तर के)	पे–बैण्ड–4 37400–67000/– ग्रेड–पे–8700	—	05
		कुल –	3850	3850

विभागवार पदों की संख्या, अनुसूची–क के रूप में संलग्न है ।

2. उपर्युक्त पदों के उत्क्रमण पर होने वाला व्यय का विकलन बजट शीर्ष "2052–सचिवालय सामान्य सेवाऐं–090–सचिवालय" के अंतर्गत सभी विभागों को आवंटित उप शीर्षों के वेतनादि मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

3. उपर्युक्त पदों के उत्क्रमण के फलस्वरूप वार्षिक व्यय रुपये 1,34,42,448/– (एक करोड़ चौतीस लाख बयालीस हजार चार सौ अड़तालीस रुपये मात्र) (व्यय विवरणी संलग्न) अनुमानित है ।

4. संबंधित प्रशासी विभाग/कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी की जायेगी ।

5. उपर्युक्त प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 24.08.2010 की बैठक के मद संख्या--(10) में स्वीकृत है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक–15/बि.स.से.–02–07/2008सा. 3369 /पटना–15, दिनांक 25 अगस्त, 2010

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ मुद्रित कर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक–15/बि.स.से.–02–07/2008सा. 3369 /पटना–15, दिनांक 25 अगस्त, 2010

प्रतिलिपि :– सभी कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक–15/बि.स.से.–02–07/2008सा. 3369 /पटना–15, दिनांक 25 अगस्त, 2010

प्रतिलिपि :– सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/महाधिवक्ता का कार्यालय, बिहार, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक–15/बि.स.से.–02–07/2008सा. 3369 /पटना–15, दिनांक 25 अगस्त, 2010

प्रतिलिपि :– प्रशाखा–4, 15, 16 एवं 17, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

N:Comp1./Dharmendra/S-15/Shivjee/Cabinet memo post Upgraded of Asstt cadre